v/;k; 6 & fu"d"kZ ,oa vuq'kalk,a

6-1 fu"d"kZ

डीओएफ द्वारा कृषि उत्पादकता की उन्नति, उर्वरकों के संतुलित उपयोग को सुनिश्चित करने, स्वदेशी उर्वरक उद्योग के विकास को बढ़ावा देने और राजसहायता के भार को कम करने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2010 से पोषक तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) नीति प्रारंभ की गई। एनबीएस नीति के अन्तर्गत पीएण्डके उर्वरकों के एमआरपी को नियंत्रणमुक्त रखा गया और उत्पादकों/आयातकों/ विपणनकर्ताओं को पीएण्डके उर्वरकों की एमआरपी को एक उचित स्तर पर नियत करने की अनुमति दी गई।

नियंत्रणमुक्त फॉस्फेट व पोटाशयुक्त उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित राजसहायता नीति की निष्पादन लेखापरीक्षा से ज्ञात हुआ किः

- एनबीएस नीति के निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए डीओएफ में कोई स्पष्ट दिशानिर्देश नहीं था और पोषक तत्वों के असंतुलित उपयोग को रोकने में नीति सफल नहीं हुई। 'एन', 'पी' एवं 'के' के 4:2:1 के वरीयता अनुपात के विरूद्ध वर्ष 2013–14 में प्रयोग अनुपात क्रमशः 8:2.7:1 रहा। एनबीएस नीति के तहत स्वदेशी उर्वरक उद्योग की विकास में सुधार करने के व्यक्त उद्देश्य के बावजूद भी पीएण्डके उर्वरकों का स्वदेशी उत्पादन 2010–11 (122.64 एलएमटी) से 2012–13 (98.28 एलएमटी) तक लगातार गिरा। 2013–14 में उत्पादन 105.24 एलएमटी था।
- यद्यपि एनबीएस नीति के प्रारंभ के पश्चात् राजसहायता बिल को सीमित रखने का उद्देश्य प्राप्त हो गया था, चूंकि राजसहायता वितरण की राशि 2009–10 के ₹39452 करोड़ से कम होकर 2013–14 में ₹29427 करोड़ हो गई थी, तथापि, यह पाया गया कि इस अवधि के दौरान पीएण्डके उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादन के साथ–साथ आयात भी कम हो गया था, जोकि देश में पीएण्डके उर्वरकों की उपलब्धता व खपत में कमी को दर्शाता है।
- 78 उर्वरक गुणवता नियंत्रण प्रयोगशालाओं में स्थापित की गयी जाँच सुविधाओं का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया क्योंकि कुछ सुविधाओं में क्षमता से कम प्रयोग हुआ व अन्य में क्षमता से अधिक।
- डीएपी के लिए एनबीएस दरों को निश्चित करने के लिए तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों की तुलना में बेंचमार्क को निम्न स्तर पर निश्चित करने के परिणामस्वरूप डीएपी के आयात के लिए अनुबंधों को अन्तिम रूप देने में देरी हुई। इससे भारत सरकार को ₹5555 करोड़ का परिहार्य राजसहायता बोझ पड़ा।
- प्रोफार्मा 'बी' जोकि राज्यों में वास्तव में प्राप्त उर्वरकों की मात्रा के साथ–साथ गुणवत्ता के प्रमाणीकरण के समर्थन में नियत्रंक साधन था, भारी मात्रा में लंबित था। 31 अक्टूबर 2014 को 2007–2008 से 2013–14 की अवधि से संबंधित 4112 प्रोफार्मा 'बी' लंबित थे जिसमें से 3899 प्रोफार्मा 'बी' एनबीएस नीति की अवधि से संबंधित थे।
- 1 जनवरी 2011 से 31 अगस्त 2011 की अवधि के दौरान एसएसपी के लिए ₹104 पीएमटी की मालभाड़ा राजसहायता की वापसी की प्रतिपूर्ति करने के लिए ₹200 पीएमटी के एकमुश्त भुगतान की स्वीकृति दी गई जिसमें परिणामतः ₹25.74 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।
- ईजीओएम के निदेशों (फरवरी 2012) के दो वर्ष से अधिक विलंब के पश्चात् भी डीओएफ ने अमोनिया के उत्पादन के लिए एपीएम गैस का प्रयोग करने वाली उर्वरक कम्पनियों से वसूली के लिए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप नहीं दिया।

- नियंत्रणमुक्त पीएण्डके उर्वरकों के संबंध में एमएसपी जैसे कि उर्वरक कम्पनियों के साथ–साथ राज्यों को जारी किया गया, आवश्यकताओं के तर्कसंगत मूल्यांकन पर आधारित नहीं था। कम्पनियों द्वारा वास्तविक रूप से की गई आपूर्ति की मात्रा को एमएसपी में उल्लिखित मात्रा के साथ कोई मिलान किए बिना ही नियमित कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, एसएसपी के लिए कोई एमएसपी नहीं बनाया जा रहा था।
- त्वरित आवश्यकता न होने के बावजूद भी, फरवरी–मार्च 2012 के दौरान राज्यों को आपूर्त आयातित उर्वरकों की अतिरिक्त मात्रा पर 2011–12 के उच्चतर एनबीएस मूल्यों पर राजसहायता के भुगतान के कारण ₹653 करोड़ का अतिरिक्त राजसहायता बोझ डीओएफ को वहन करना पड़ा।
- डीओएफ में ऐसा कोई निगरानी तंत्र नहीं था जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उर्वरक कम्पनियों द्वारा निश्चित किए गए मूल्य उनके उत्पादन की लागत पर आधारित थे और वे तर्कसंगत थे।

6-2 vu'klk,

1. नीति के प्रत्येक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सुपरिभाषित दिशानिर्देशों, जो कि अन्य बातों के साथ–साथ इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए परिमाण निर्धारित करने योग्य सुपुर्दगियों और विशिष्ट समयसीमा को इंगित करते हों, को निर्धारित करने की आवश्यकता है।
2. डीओएफ यूरिया की कीमतों के आलोचनात्मक पुनरीक्षण सहित उचित रूप से समन्वित विशिष्ट उपायों को रखे तथा प्रचार की एक समर्पित योजना के द्वारा उर्वरक के संतुलित उपयोग के लाभों को किसानों तक पहुँचाए।
3. डीओएफ को वित्त मंत्रालय के घनिष्ठ समन्वय के साथ उर्वरक क्षेत्र में निवेश में वृद्धि तथा इसके प्रोत्साहन के लिए कदम उठाने चाहिए। पीएण्डके उर्वरकों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण को शीघ्र अपनाने की अनुशंसा की जाती है।
4. एफक्यूसीएल के उपयोग का आलोचनात्मक पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है, जिससे कि इन सुविधाओं का परिहार्य कम उपयोग अथवा अत्यधिक उपयोग न हो।
5. डीओएफ वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने से पहले बेंचमार्क मूल्य के निर्धारण के लिये अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के प्रभाव या गति का ध्यान रखे जो उर्वरक कम्पनियों को अन्तर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ता के साथ समय पर आवश्यकतानुसार प्राप्ति के लिये संविदा करने में सक्षम बना सके।
6. डीओएफ प्रोफार्मा 'बी' की प्राप्ति तथा विलम्बन की विद्यमान निगरानी व्यवस्था की आलोचनात्मक रूप से समीक्षा करे तथा इस मुद्दे की तात्कालिकता/अनिवार्यता की भावना लाने के लिये तथा विलम्बन को समाप्त करने के लिये क्षेत्रीय या राज्य स्तर पर स्थिति की आवधिक समीक्षा करने पर विचार करे।
7. डीओएफ एक तंत्र की स्थापना करे जो यह सुनिश्चित करे कि डीएसी द्वारा अनुमानित माह–वार तथा राज्य–वार उर्वरकों की मांग के आधार पर उर्वरकों की आवश्यकता का अग्रिम आंकलन हो पाए तथा उर्वरकों की आवश्यक मात्रा की आपूर्ति की व्यवस्था का समन्वय करे।
8. एसएसपी के लिए एमएसपी होने की आवश्यकता और उसके लिए रूप रेखाओं को डीएसी के निकट सहयोग के साथ डीओएफ द्वारा समाधान निकाला जाना चाहिए।

9. चूँकि एनबीएस योजना ने एमआरपी को उर्वरक कम्पनियों द्वारा एक तर्कसंगत स्तर पर निर्धारित करने के लिए नियंत्रणमुक्त किया था, इसलिए डीओएफ उठाए गए कदमों की पर्याप्तता का यह सुनिश्चित करने के लिए गहनता से पुनरीक्षण करना चाहिए कि कम्पनियों द्वारा मूल्य वास्तव में एक तर्कसंगत स्तर पर निर्धारित किया गया है इसलिए डीओएफ द्वारा पहले ही से नियुक्त की गई फर्मों को निर्देश दिया जाए कि वे अपने प्रतिवेदनों को समय पर प्रस्तुत करें ताकि अपने मूल्यों पर विसंगत लागत घटकों को शामिल करने वाली उर्वरक कम्पनियों के विरूद्ध डीओएफ कार्यवाही कर सके। इसके अतिरिक्त, डीओएफ अप्रैल 2010 से आगे 2012–13 से परीक्षित लागत आँकड़ों की बजाए एनबीएस नीति के प्रारम्भ की तिथि से उर्वरक कम्पनियों के लागत आँकड़ों को सत्यापित करने पर विचार करे।

डीओएफ ने (मार्च 2015) जवाब दिया कि इसने पहले ही कुछ अनुशंसाओं पर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है जैसे कि यूरिया की कीमत का निर्धारण, पीएण्डके उर्वरकों के आवागमन/आपूर्ति में सुधार और पीएण्डके उर्वरकों के मूल्यों की तर्कसंगतता को सुनिश्चित करना।

fnuk¡d % **20 अप्रैल 2015**
LFkku % ubZ fnYyh

¼vkuUn ekgu ctkt½
iz/kku funs'kd ys[kkijh{kk
¼vkfFkZd ,oa lsok ea=ky;½

ifrgLrk{kfjr

fnuk¡d % **20 अप्रैल 2015**
LFkku % ubZ fnYyh

¼'kf'k dkUr 'kekZ½
Hkkjr ds fu;a=d&egkys[kkijh{kd